न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–260/2018(जीसीएमएस नं. 2018/00127)

01. हकीम खॉ पुत्र श्री फैजू खॉ, आयु लगभग 76 वर्ष, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. नवाब अली आयु लगभग 55 वर्ष, पुत्र फैजू खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. जमशेर अली आयु लगभग 62 वर्ष पुत्र एमन खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
03. भागीरथ आयु लगभग 85 वर्ष, पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी ग्राम झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुन्झुन, राजस्थान।
04. शमशेर आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र अशरफ खॉ, जाति जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
05. लियाकत अली आयु 32 वर्ष, पुत्र असर अली खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
06. श्रीमती चिड़िया बानो आयु लगभग 75 वर्ष, स्त्री अस्त अली खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
07. शमसाद अली आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र असर खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
08. हिदायत अली आयु लगभग 45 वर्ष, पुत्र फैजू खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––प्रत्यर्थीगण

09. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
10. श्रीमती खतीजा बानों आयु लगभग 78 वर्ष, पत्नी स्व. मुस्ताक खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
11. सरवर खॉ आयु लगभग 59 वर्ष पुत्र स्व. मुस्ताक खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
12. लियाकत खॉ आयु लगगभग 55 वर्ष पुत्र स्व. मुस्ताक खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
13. शोकत खॉ आयु लगभग 45 वर्ष, पुत्र स्व. मुस्ताक खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
14. सब्बीर खॉ आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र फैजू खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
15. असगर खॉ आयु 65 वर्ष पुत्र फैजू खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

16. नवाब अली आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र फैजू खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
17. हिदायत अली आयु लगभग 48 वर्ष पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
18. हबीब अली आयु लगभग 44 वर्ष पुत्र फैजू खॉ जाति कायमखानी, निवासी पिथूसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——परफोम्र प्रत्यर्थीगण

उपस्थितिः—

1. श्री रामोवतार तमोलिया, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हरलाल सिंह एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4 लगायत 7 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2016 को तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि वे वर्तमान भू प्रबन्ध की शीट सन् 1990–91 व पूर्व भू प्रबन्ध की शीट सन् 1937–38 में रास्ते सम्बन्धी डोटेड लाईन के एकरूपता कायम करें जिससे व्यक्ति होकर सबीर खान एवं सरवर अली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस अपील को न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.2017 के माध्यम से निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के आदेश दिनांक 22.01.2016 को निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को पक्षकार बनाकर प्रकरण नया नम्बर 22/2017 पर दर्ज किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम राजस्व लोक अदालत गोखरी में प्रकरण का दिनांक 07.06.2018 को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं अपीलार्थी के बिना किसी राजीनामें के ही राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निर्णय कानून व तथ्यों के विपरित होने अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचानों व दस्तावेज साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवलोकन नही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा प्रस्तुत नही किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, व 11 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा प्रस्तुत नही किया गया है इसके बावजूद अधीनस्थ द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण से राजीनामा होना बताकर मनमाने रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो कतई विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल अप्रार्थी संख्या 3 व 7 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जिसका सभी अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा होना बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्यारह में से केवल दो पक्षकारों की सहमति के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण का निर्णय करना कतई अविधिक है, कानूनन सभी पक्षकारों की सहमति के बिना प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय नही किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम कानून कायदों को दरकिनार करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 7 द्वारा किये गये राजीनामें के अनुसार रास्ता अपीलार्थी के कब्जे व अधिकार के खसरा नम्बर 172 में होकर है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 7 के कब्जे व अधिकार की भूमि में होकर नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से राजस्व रिकार्ड में दर्शाये गये रास्ते के विपरित नया रास्ता कायम कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 को अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4 से 7 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय श्रीमान् के रिमाण्ड आदेश दिनांक 22.01.2016 की पालना में तहसीलदार से रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त करके एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् एवं मौका निरीक्षण करने के पश्चात् लोक अदालत में ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं कानून की मंशा के अनुसार ही पारित किया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प गोखरी में पक्षकारान के राजीनामें के आधार पर पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार के उज्रात करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के माध्यम से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट पक्षकार रहा है एवं खसरा नम्बर 171 व 172 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 14 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई राजीनामा इत्यादि भी प्रस्तुत नही किया गया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके राजीनामा का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारान को सम्यक् रूप से साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।